01/02

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

पवन कुमार
उप रजिस्ट्रार
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 234552



NOTARY

मॉ सरस्वती एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट (न्यास विलेख)

मैं डॉ0 चन्द्रेश कुमार सिंह पुत्र श्री महेन्द्र नाथ सिंह निवासी ग्राम व पो0 दमोदरा, तहसील मुडियाहूँ, जिला जौनपुर, मो0नं0 9956298325, आधार नं0 694483026111, पैन नं0 BKOPS9876F का हूँ।

विदित हो कि मिनमुकिर धार्मिक संस्था व सामाजिक संस्थाओ में लिप्त है और सामाजिक सेवा की भावना ओत–प्रोत है। मिनमुकिर की दिली इच्छा है कि समाज में अति पिछडे एवं अतिदलित अन्तिम पंक्ति में खड़े शोषित उपेक्षित व्यक्ति की सेवा करे और मानव के बहुमुखी विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, बौद्धिक रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति के कार्य में लगा हुआ है। मिनमुकिर की दिली इच्छा है कि अपने उपरोक्त उद्देश्य को कियान्वित करने हेतु एक ट्रस्ट (न्याय) की स्थापना करे। मिनमुकिर ने अपने उक्त उददेश्य व रुचि को अन्य ट्रस्टियों (न्यासियों) से व्यक्त किया और न्यासियो ने भी अपनी सहमति दे दिया और सहमति देकर सामूहिक रुप से उक्त कार्य करने के लिये तैयार है।

मानव सेवा ही सबसे बडा धर्म है, मिनमुकिर जो ट्रस्ट स्थापित कर रहा है उसका उद्देश्य मानव सेवा है। मानव सेवा, समाज व देश की आर्थिक समृद्धि व भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना है, इसलिये निम्न बातो का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ:–

जो ट्रस्ट मिनमुकिर कायम कर रहा है, उसका नाम **मॉ सरस्वती एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट "ट्रस्ट" पता:– ग्राम व पो0 दमोदरा, तहसील–मडियाहूँ, जिला–जौनपुर** है। इसके आलावा अन्य कोई चल या अचल सम्पत्ति इस ट्रस्ट के नाम नही है एवं इस ट्रस्ट के द्वारा किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का कोई अन्तरण नही किया जा रहा है, जिसमें उपरोक्त सभी ट्रस्टियो ने अपनी–अपनी लिखित स्वीकृति हम संस्थापक टस्ट्री को दे दिया है।

ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं सदस्यो के नाम निम्नलिखित है:–

1. **डॉ0 चन्द्रेश कुमार सिंह** पुत्र श्री महेन्द्र नाथ सिंह निवासी ग्राम व पो0 दमोदरा, जिला जौनपुर (प्रधान न्यासी)
2. **डॉ0 किरन लता सिंह** पत्नी **डॉ चन्द्रेश कुमार सिंह ग्राम व पो0 दमोदरा जिला जौनपुर** (न्यासी)
3. **मीमांसा सिंह** पुत्री **डॉ0 चन्द्रेश कुमार सिंह ग्राम व पो0 दमोदरा जिला जौनपुर** (न्यासी)

CKSingh

Scanned by CamScanner

स्टाम्प 3427 स्टाम्प विक्रेता का लिखा 21/9/021

[illegible] का प्रयोजन लिखा है

स्टाम्प लेखा का नाम व पूरा पता डा० चन्द्रेश कुमार [illegible] पुत्र महेन्द्रनाथ [illegible]

ला० दमोदरा [illegible] मड़ियाहूँ जौनपुर

स्टाम्प का [illegible] [illegible]

चन्द्रेश यादव स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 133 ला० की अवधि 20[illegible]
तहसील परिसर मड़ियाहूँ, जौनपुर

SENIOR
TREASURY OFFICER
24 DEC 2020
JAUNPUR

[illegible] मड़ियाहूँ जिला जौनपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 234553

4. <u>ट्रस्ट का मुख्यालय आफिस</u>:– इस ट्रस्ट का मुख्यालय ग्राम व पो0 दमोदरा, तहसील मडियाहूँ, जिला–जौनपुर ।

<u>ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र</u>:– सम्पूर्ण भारत वर्ष।

5. <u>ट्रस्ट फण्ड</u>:– वर्तमान कुल मु0 10000/– रुपया (दस हजार रुपया मात्र) संस्थापक मुख्य ट्रस्टी द्वारा दिया गया दान तथा अन्य धनराशि या जायदाद जो ट्रस्ट को चन्दा, दान, उपहार, सहयोग या सहायता अनुदान द्वारा सदस्यो या उनके परिवार, संस्थापक, परिषदों, सहकारी समितियों, स्थानीय अधिकारियों या समाज के सदस्यों या जनप्रतिनिधियों या सरकार या विदेश द्वारा मिलती है या भविष्य में मिलेगी, सब एकत्र होकर न्यास कोष या ट्रस्ट फण्ड कहलायेगा और उसपर केवल ट्रस्टियों का अधिकार होगा।

6. <u>ट्रस्ट का उद्देश्य</u> :– ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्य होगें:–

1. नवयुवक छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये प्राथमिक जू0हा0 स्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, कृषि महाविद्यालयों, शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों/महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।
2. वर्तमान समय में विज्ञान के जनजीवन का आवश्यक एवं अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उनसे सम्बन्धित ज्ञान के जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को आधुनिक टेक्नोलाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
3. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में कमजोर विद्यार्थियों के लिये अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालिटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 आदि में प्रवेश की तैयारी के लिये कोचिंग सेंटरो की व्यवस्था तथा उससे होने वाले आय से पोषण करना एवं बी0एड0, बी0पी0एड0, बी0टी0सी0 कालेजों, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल कालेज एवं प्रबन्धन कालेज बी0एल0एड0 कालेज, नर्सिंग कालेज आदि खोलना।
4. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग सेंटर जैसे सिलाई, बुनाई, पेंन्टिग, स्कीन, इलेक्ट्रानिक वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियों एवं टी0बी0 ट्रेनिंग, टाईपिंग शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बैकरी एवं मशरुम उद्योग प्रशिक्षण एवं डायटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रो की स्थापना /व्यवस्था तथा प्रबन्ध करना आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष पुस्तकालय अध्ययन कक्ष, छात्रावास भोजन, वस्त्र दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओ को उपलब्ध कराना।

Scanned by CamScanner

आवेदन क्र० 2021009850001 67 स्टाम्प विक्रेता का दिनांक 21/1/021

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.....

आ०.....प०.....न०.....

स्टाम्प की धनराशि.....

न्यास पत्र

वही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 1 वर्ष 2021

चन्द्रेश यादव स्टाम्प विक्रेता

ला० न० 133 ला० की अवधि 2019

पतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

SENIOR TREASURY OFFICER 24 DEC 2020 JAUNPUR

श्री डॉ0 चन्द्रेश कुमार सिंह ,
पुत्र श्री महेन्द्रनाथ सिंह
व्यवसाय : डाक्टर
निवासी [illegible] तह0 मडियाहूं, जौनपुर





ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 07/01/2021 एवं 02:41:25 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय कुमार
उप निबंधक :मड़ियाहूं
जौनपुर
07/01/2021

इन्दु प्रकाश सिंह
निबंधक लिपिक

सहायक निबंधक मड़ियाहूं जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner

5. समुदायिक विकास कार्यक्रम को बढावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ, शौचालय, चिकित्साालय, पुस्तकालय, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनवाडी, ड्रामास्टेज प्रशिक्षण एवं विभिन्न प्रकार के कौशल विकास के लिये प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
6. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बडे पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जडी–बूटी वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लांट) सौन्दर्य उपयोगी पौधे) फ्लोरी कल्चर सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों या रोपण करना, सुरक्षा एवं संस्था की दृष्टि से विलुप्त पौधों की खेती करना।
7. संस्था के उददेश्य की पूर्ति के लिये भूमि (कृषित एवं अकृषित भूमि) मकान तथा वाहनों को खरीदना, बेचना, किराये पर या लीज पर लेन देन करना या मकान बनवाया या बेचना आदि।
8. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे युनिसेफ, आई0सी0डी0एस0, नेहरु युवा केन्द्र समाज कल्याण एवं स्वास्थ विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
9. एडस, कैंसर, टी0बी0, कोढ, मलेरिया, पोलियों, हेपेटाइटिस, कोरोना, अस्थमा, डाइविडिज जैसे आदि रोगो को जानकारी/रोकथाम/ नियत्रंण/जागरुकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जनसामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, मेडिकल एवं अन्य चिकित्सीय /पैरामेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
10. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यो का भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।
11. सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंको से संस्था के उद्देश्य के पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।
12. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सभी कार्य, डाटा, कलेक्शन जागरुकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य, दुश्य, कैसेट, कठपुतली सामाग्री, डाक्यूमेनटरी एवं नुक्कड नाटक कीट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमो अथवा क्षेत्रों में 0231 युक्त होता है जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।
13. शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।
14. गरीब तबके के लोगो को शिक्षा, वस्त्र, भोजन, और दवा की समुचित व्यवस्था करना।
15. मानव या बहुमुखी विकास, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, बाद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक उन्नति हेतु समुचित प्रयास व सहयोग करना।
16. यह कि संस्था का कार्य छुट्टा पशुओं का पालन व गौशाला निर्माण व गो पालन करना उसकी देख–रेख सुचारु रुप से करना।
17. धार्मिक प्रचार प्रसार करना धर्मशाला का निर्माण कराना तथा ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, भक्ति भावनाओं का विकास करना।
18. मन्दिर, अनाथालय, वृद्धाश्रम, धर्मशाला आदि का निर्माण करना व जीर्णोद्धार करना तथा उक्त धार्मिक कार्य हेतु भूमि भवन हेतु चल व अचल सम्पत्ति अर्जित करना तथा उसका प्रबन्ध करना।
19. प्राथमिक स्तर से लेकर परास्नातक स्तर तक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।
20. कमजोर वर्ग के बालक/बालिकाओं के लिये निशुल्क विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास आदि का प्रबन्ध करके उनको मुख्य धारा से जोडने हेतु कार्य करना।
21. समाज एवं मानव के उत्थान के हेतु सेमिनार, सत्संग, विचार गोष्ठियों, सम्मेलन, नुक्कड संभाओं, ड्रामा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटको आदि कार्यक्रमो का आयोजन करना।
22. संस्था के किया कलापों के प्रचार–प्रसार एवं देश के प्रगति के लिये समाचार पत्र पत्रिका का प्रकाशन।
23. दैवीय आपदाओं, दंगो, दुर्घटनाओं आदि के समय पीडित घायलों की सेवा करना एवं उनकी आर्थिक सहायता करना।
24. महिलाओ तथा बच्चों के विकास हेतु महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।
25. प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, टीका केन्द्र, चिकित्सालय, डिस्पेन्सरी, मेडिकल रिसर्च सेन्टर, नर्सिंग होम, डाइग्नोस्टिक सेंटर व विभिन्न रोगों के निदान केन्द्र, कुष्ठ रोग निदान केन्द्र आदि की स्थापना, संचालन एवं नर्सिंग फार्मास्टि ट्रेनिंग केन्द्रों की स्थापना और उनके संचालन की व्यवस्था करना।
26. विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु विशेष विद्यालय की स्थापना करना।
27. बालश्रम रोकने के हेतु अभियान चलाना।
28. बाल शोषण व वेश्यावृत्ति रोकने हेतु उपाय करना।
29. गंगा एवं विभिन्न नदियों के निर्मलीकरण, घाट एवं धर्मशालाओं का निर्माण करना।
30. पर्यावरण के स्वच्छता के लिये कार्यक्रम करना, वृक्ष लगाना इत्यादि।
31. विलुप्त हो रही विभिन्न भारतीय धार्मिक संस्कृतियों का संरक्षण करना एवं विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन एवं साहित्यों का प्रकाशन करना।
32. मानव मात्र के अध्यात्मिक उन्नयन हेतु योग एवं ध्यान केन्द्र के साथ–साथ वेद एवं अन्य धर्मशास्त्रों के अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना।



Scanned by CamScanner

आवेदन सं०: 202100985000167

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 1 वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री डॉ0 चन्द्रेश कुमार सिंह, पुत्र श्री महेन्द्रनाथ सिंह




निवासी: दमोदरा,तह0 मडियाहूं, जौनपुर

व्यवसाय: डाक्टर

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री हरीशचन्द्र जायसवाल , पुत्र श्री भोलानाथ जायसवाल




निवासी: सरायविक्रम ,पो0 सुखलालगंज, तह0 मडियाहूं, जिला - जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री संजय कुमार सिंह , पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद




निवासी: कुतूपुर ,पर0 गोपालापुर, तह0 मड़ियाहूं ,जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

अजय कुमार
उप निबंधक : मड़ियाहूं
जौनपुर

इन्दु प्रकाश सिंह
निबंधक लिपिक

Scanned by CamScanner

33. इस ट्रस्ट के माध्यम से रामलोचन सिंह सेवा समिति झूँसी इलाहाबाद द्वारा पूर्व से संचालित माँ सरस्वती महाविद्यालय दमोदरा जौनपुर का भी संचालन किया जायेगा।
34. युवाओं में स्वरोजगार को बढावा देने हेतु जैविक खेती करना, मत्स्य पालन करना, मुर्गी पालन करना, बकरी पालन करना, जैविक खाद, वर्मी कम्पोष्ट आदि तैयार करना तथा इस सभी की ट्रेनिग की व्यवस्था करना व संचालन करना।
35. सामाजिक उत्थान के लिये पिछडी–अति पिछडी दलित अदलित जातियों को समाज के मुख्य धारा में लाकर उनका समुचित विकास सुनिश्चित करनाएवं समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना व उसके निदान हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाना।
36. सामाजिक सम्प्रभुता की सुरक्षा हेतु विभिन्न धर्मो एवं सम्प्रदायो के विद्वान द्वारा गोष्ठियों, कार्यशालाओ व धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना तथा सभी धर्मो का आपसी समन्वय बनाने हेतु प्रयास करना।
37. ट्रस्ट द्वारा संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों में राज्य सरकार व विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार नियम लागू होगें।
38. ट्रस्ट द्वारा सी.बी.एस.ई. या अन्य किसी बोर्ड द्वारा विद्यालयों की मान्यता/सम्बद्धता लेने पर तत्सम्बनिधत बोर्ड/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियम लागू होगें। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकता नुसार निम्न नियम लागू होगें।

क. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग. विद्यालय से कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूवित जाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों से विभिन्न कक्षाओ के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

घ. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/काउसिंल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

ड. सस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तें से कम से वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।

च. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायत प्राप्त अशासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

छ. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उसका पालन करेगी।

ज. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ में रखा जायेगा। यदि हॉ तो कृप्या प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करे कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध कम से कम आठ तक स्वीकार है।

झ. उक्त प्रतिबन्ध क से ज तक विना शासन के अनुमति से परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नही किया जायेगा।

1. **<u>ट्रस्टियों की संख्या</u>**:– ट्रस्टियो की संख्या 1 से कम और 5 से अधिक नही होगी। चेयरमैन/मुख्य ट्रस्टी को छोडकर अन्य सभी ट्रस्टियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा संस्थापक मुख्य टस्टी द्वारा ट्रस्ट्रियों का कार्यकाल बढाया जा सकता है। लेकिन यदि कोई ट्रस्टी चाहे तो चेयरमैन/मुख्य ट्रस्टी को लिखित रुप से सूचित करते हुए त्याग पत्र दे सकता है।

2. **<u>सदस्यता की समाप्ति</u>**:–

1. त्याग पत्र देने तथा उसके स्वीकार होने पर अथवा मृत्यु होने पर अथवा संस्थापक मुख्य ट्रस्ट्री द्वारा हटाये जाने पर।
2. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित होने पर अथवा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित होने पर।
3. ट्रस्ट के हितो के विपरीत कार्य करने पर ट्रस्ट समिति द्वारा बहुमत से सदस्यता समापित प्रस्ताव पारित होने पर।
4. लगातार तीन बैठको में अकारण अनुपस्थित होने के बाद ट्रस्ट समिति द्वारा बहुमत से सदस्यता समाप्ति प्रस्ताव पारित होने पर।

Scanned by CamScanner

3. **ट्रस्ट के अंग**:– सामान्य व्यवस्था और ट्रस्ट पर नियन्त्रण तथा ट्रस्ट के धन एवं उसकी जायदाद पर नियन्त्रण तथा उसके कार्यो की देख रेख हेतु दो अंग होगे–

1. सधरण सभा।
2. कार्यकारिणी समिति।

1 **साधारण सभा**:–

(क). ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

(ख). साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर किसी भी समय चेयरमैन की अनुमति पर बुलाई जा सकती है।

(ग) सामान्य बैठको की सूचना सदस्यो को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना ट्रस्ट्रियों को 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

(घ) गणआपूर्ति के लिये कुल ट्रस्टियों में से 2/3 की उपस्थिति का कोरम होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जायेगी। यदि कोरम के अभाव में बैठक स्थगित स्थापित हो जाती है तो उसके तुरन्त बाद ही बैठक के लिये कोरम की आवश्यकता नही होगी।

(ड) **साधारण सभा के अधिकार**:–

1. ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. ट्रस्ट के वार्षिक आय–व्यय बजट व वार्षिक कार्यक्रमो की रिपोर्ट प्राप्त करना।
3. ट्रस्ट के नियमो एवं विनियमो में संशोधन करना।
4. ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी समिति के कार्यो में सहयोग करना।

4– संस्थापक मुख्य ट्रस्टी आजीवन ट्रस्ट का चेयरमैन रहेगा। संस्थापक मुख्य टस्ट्री डॉ चन्द्रेश कुमार सिंह पुत्र श्री महेन्द्र नाथ सिंह निवासी ग्राम व पो0 दमोदरा, तहसील मडियाहूँ, जिला जौनपुर और इन्ही की देख रेख में प्रबन्धकारिणी समिति व सब कमेटी का निर्वाचन या मनोनयन होगा तथा मुख्य ट्रस्टी के न रहने पर मुख्य ट्रस्टी के वारिसान इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी होगे।

5– **प्रबन्धकारिणी समिति**:–

(क) साधारण सभा में से बहुमत या गुप्त मतदान या चुनाव प्रकिया या हाथ उठाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा।

(ख) प्रबन्धकारिणी के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(ग) सामान्य बैठको को सूचना को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना ट्रस्ट्रियों को 24 घंटे पूर्व लिखित रुप से अथवा समाचार पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

(घ) गणआपूर्ति के लिये कुल ट्रस्टियों में से 2/3 की उपस्थिति का कोरम होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जायेगी। यदि कोरम के अभाव में बैठक स्थगित स्थागित हो जाती है तो उसके तुरन्त बाद ही बैठक के लिये कोरम की आवश्यकता नही होगी।

(ड) प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति साधारण सभा से बहुमत द्वारा कर ली जायेगी।

(च) **प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार**:–

1. ट्रस्ट के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना।
2. ट्रस्ट के वार्षिक आय–व्यय का बजट तैयार करना तथा वार्षिक कार्यक्रमो की रिपोर्ट करना।
3. ट्रस्ट के चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. ट्रस्ट के संचालन हेतु आवश्यक नियुक्तियां करना तथा कार्यक्रम निर्धारण करना और समिति और उपसमितियो का गठन करना।
5. ट्रस्ट के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलना व उसका संचालन मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर से होगा।
6. ट्रस्ट के नाम से दान, चन्दा, भेट, ग्रहण, चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना तथा उसका समुचित रख–रखाव देख भाल करना।
7. ट्रस्ट के विकास हेतु योजनायें बनाना, निति निर्धारित करना।



Scanned by CamScanner

8. कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति वेतन निर्धारण तथा उनके कार्य के बँटवारे व सेवा सम्बन्धी नियमों विधियों का निर्माण करना।
9. भविष्य में ट्रस्ट की खरीद–फरोख्त की जिम्मेदारी प्रधान ट्रस्टी की होगी।
10. यदि भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति के बावत कोई विवाद होता है तो वह पंचायत के माध्यम से होगी।
11. प्रधान ट्रस्टी किसी भी रुप में ट्रस्ट के अहित के रुप में काम नही करेगा।
12. ट्रस्ट की सम्पत्ति सयुक्त रुप से की सम्पत्ति मानी जायेगी।
13. ट्रस्ट की जो भी अन्य कार्य नही दिये गये ह, वह भी कार्य प्रधान ट्रस्ट ही करेगा।
14. ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतु समस्त प्रकार के कार्यो का सम्पादन करनां
15. के लिये मुकदमा दाखिल करनातथा मुकदमें की पैरवी हेतु, आवश्यक विधिक कार्यवाही करनां ट्रस्ट के खिलाफ दाखिल मुकदमों की पैरवी करना तथा आवश्यकतानुसार सुलह समझौता ट्रस्ट के लाभ हेतु करना।
16. ट्रस्ट के संचालन हेतु नियम, उप–नियम बनाना तथा स्थानीय जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर समितियों को नामांकित करना, उनको भंग करना, नये सदस्यों का उसमें समावेश कराना।
17. ट्रस्ट के उद्देश्य के पूर्ति के लिये संस्था सरकार, समाज कल्याण विभाग सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, वित्तिय संस्थाओं, देश तथा विदेशों से दान, अनुदान, चन्दा ग्रहण आदि प्राप्त करनां।

6– **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों और उनके अधिकारः–**

(क) चेयरमैन/मुख्य ट्रस्टीः– ट्रस्ट का सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी होगा ट्रस्ट की ओर से बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों के लिये दिनांकों का अनुमोदन करना, बैठकों को बुलाना तथा उन्हे स्थगित करना, किसी विशेष पर समान मत आने पर निर्णायक मत देना, बैठको में प्रस्ताव रखने की अनुमति देना, सदस्यों को हटाने व रखने के मामले में अतिम निर्णय चेयरमैन/मुख्य ट्रस्टी डॉ चन्द्रेश कुमार सिंह पुत्र श्री महेन्द्र नाथ सिंह निवासी ग्राम व पो0 दमोदरा, तहसील मडियाहूँ, जिला जौनपुर,का माना जायेगा, ट्रस्ट के समस्त प्रकार की धनराशि या अनुदान, चन्दा, चल या अचल सम्पत्ति अपने हस्ताक्षर से प्राप्त करना, ट्रस्ट के चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना हस्तान्तरण करना, किराये पटटे पर लेने–देने सम्बन्धित प्रपत्रों, दस्तावेजों, कागजातों पर हस्ताक्षर करना, ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित केन्द्रों, इकाईयों में अध्यापक, कर्मचारियों, कारीगरों की नियुक्ति,निष्पादन, पदोन्नति, पदच्युक्त करना, वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन तय करना व भुगतान करना, ट्रस्ट की अदालती कार्यवाही करना, ट्रस्ट के सदस्यों से सदस्यता शुल्क लेना, ट्रस्ट के सदस्यों के सदस्यता शुलक लेना, ट्रस्ट का आजीवन प्रेसीडेन्ट होगा, उनकी मृत्यु के बाद इनके वारिस या उत्तराधिकारी ही चेयरमैन होगा ट्रस्ट के अभिलेखों को सुरक्षित रखना ट्रस्ट का कोई भी कार्य करना प्रधान ट्रस्ट / डॉ चन्द्रेश कुमार सिंह पुत्र श्री महेन्द्र नाथ सिंहनिवासी ग्राम व पो0 दमोदरा, तहसील मडियाहूँ, जिला जौनपुर के सम्पन्न नही होगा, ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना।

(ख) सचिवः–ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी/ चेयरमैन डॉ चन्द्रेश कुमार सिंह पुत्र श्री महेन्द्र नाथ सिंह निवासी ग्राम व पो0 दमोदरा, तहसील मडियाहूँ, जिला जौनपुर द्वारा अधिकृत पत्र व्यहार करना। ट्रस्ट की ओर से बैठकों की कार्यवाही लिखना, लिपिबद्ध करना, सुनाना तथा कार्यकमो का प्रचार–प्रसार करना, ट्रस्ट के संगठन को मजबूत बनाना, नये सदस्य बनवाना, प्रचार प्रसार करना, पत्रिका आदि निकालने हेतु प्रयास करना, ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/ चेयरमैन डॉ चन्द्रेश कुमार सिंह पुत्र श्री महेन्द्र नाथ सिंह निवासी ग्राम व पो0 दमोदरा, तहसील मडियाहूँ, जिला जौनपुर, द्वारा सौपें गये कार्यो को करना। ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों कागजात को अपनी अभिरक्षा में रखना।

(ग) कोषाध्यक्षः– ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
ट्रस्ट के कोष सम्बन्धी अभिलेख पूर्ण करना।
ट्रस्ट के चेयरमैन द्वारा सौपें गये कोष सम्बन्धी कार्य करना

7– ट्रस्ट के नियमो एवं विनियमों में संशोधन प्रकियाः–

ट्रस्ट के नियमो एवं विनियमो में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन साधारण रुप से बहुमत से साधारण सभा की बैठको में किये जायेगें।

8– ट्रस्ट का कोषः–ट्रस्ट का समस्त कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक या पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर चेयरमैन/मुख्य ट्रस्टी डॉ चन्द्रेश कुमार सिंह पुत्र श्री महेन्द्र नाथ सिंह निवासी ग्राम व पो0 दमोदरा, तहसील मडियाहूँ, जिला जौनपुर द्वारा संचालित किया जायेगा।

9– ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण आडिटः–

ट्रस्ट के आय –व्यय का परीक्षण आडिट प्रतिवर्ष सत्र समाति पर किसी योग्य व्यक्ति आडीटर या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

10– ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्वः–



Scanned by CamScanner

ट्रस्ट द्वारा होने वाली अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी चेयरमैन/मुख्य ट्रस्टी अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति एडवोकेट द्वारा की जायेगी।

11:– ट्रस्ट के अभिलेख–

ट्रस्ट के निम्नलिखित अभिलेख होगें।

1. कार्यवाही रजिस्टर,
2. सदस्यता रजिस्टर,
3. लेजर कैश बुक,
4. एजेण्डा रजिस्टर,
5. अन्य अभिलेख जो भी होगें रखें जायेगें।

12– ट्रस्ट के विघटनः– ट्रस्ट के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही समस्त प्रकार की लेन–देन अदायगी करने के बाद भारतीय ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत की जायेगी।





गवाहः–

1. नाम व हस्ताक्षर : हरीशचन्द्र जायसवाल
   पिता का नाम : भोलानाथ जायसवाल
   पता : ग्राम सरायविक्रम, पोस्ट सुखलालगंज, जिला जौनपुर
   मो0नं0 8009253101

हरिश्चन्द्र

2. नाम व हस्ताक्षर : संजय कुमार सिंह
   पिता का नाम : अम्बिका प्रसाद
   पता : ग्राम व पोस्ट कुत्तूपुर, गोपालापुर जिला जौनपुर
   मो0नं0 : 7068689062

संजय कुमार सिंह

ak singh

Scanned by CamScanner

तहरीर तारीखः– 07.01.2021 महेन्द्र कुमार सिंह
एडवोकेट 1218/94

मसविदाकर्ता :– महेन्द्र कुमार सिंह एडवोकेट उ0प्र0 1218/94

टाईपकर्ता :– आशीष कुमार मौर्य आशीष कुमार मौर्य
तहसील मडियाहूँ जौनपुर







Scanned by CamScanner

आवेदन सं०: **202100985000167**

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 37 के पृष्ठ 199 से 214 तक क्रमांक 1 पर दिनाँक 07/01/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय कुमार

उप निबंधक : मड़ियाहूं

जौनपुर

07/01/2021



सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner